आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
29.05.2020	(see below)	

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, धनबाद

आर्बिट्रेशन केश नं0–65/2019

दिनेश कुमार साव –बनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में निरसा अंचल अन्तर्गत मौजा–मुगमा, थाना नं0–69, खाता नं0–34, प्लॉट नं0–628, रकवा–600 Sq.ft. भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेनों के चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक स्वंय उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि गया है कि अन्तर्गत मौजा–मुगमा, थाना नं0–69, खाता नं0–34, प्लॉट नं0–628, रकवा–600 Sq.ft. जमीन भू–अर्जन द्वारा अधिग्रहित किया गया है। जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के औसत दर के आधार पर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है, जबकि वर्ष 2018 में भूमि का मुआवजा राशि 5,74,522.00 रू0 भुगतान किया गया है। वर्ष 2018 में वर्त्तमान बाजार दर के अनुसार उक्त भूमि आवासीय के आधार पर मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा बाजार दर के आधार भूमि पर अवस्थित संरचनाओं का 30,00,000.00 (तीस लाख), सूद 50,000.00 (पच्चास हजार), कुल 30,50,000.00 रू0 मुआवजा राशि आकलन कर भुगतान करने का दावा किया गया है। साथ ही आवेदक द्वारा आवासीय के आधार पर वर्त्तमान बाजार दर पर मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि यह वाद Not Maintainable है तथा मुआवजा राशि सही आकलन कर भुगतान किया गया है। फलस्वरूप वाद को अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जॉच आवश्यक है। अर्जित भूमि में अवस्थित संरचनाओं का वास्तविकता का जॉच करते हुए नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारित दर पर पुर्नमूल्यांकन कर यदि देय हो तो आवेदक को भुगतान करना सुनिश्चित करें। साथ ही वास्तविक संरचना स्थित रहने वाले हिस्से के भूखण्ड का मुआवजा आवासीय प्रकृति की भूमि के लिए निर्धारित दर पर नियमानुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद को निदेश दिया जाता है कि निर्मित संरचना एवं उसके वास्तविक क्षेत्रफल की जॉच करते हुए पुर्नगणना के आधार पर उक्त आवासन से संबंधित आंशिक भूखण्ड के मुआवजा का भुगतान आवासीय प्रकृति की भूमि के लिए निर्धारित दर पर नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करायें। शेष आवास रहित खाली पड़े भूमि के विरूद्ध किये गये मुआवजा भुगतान के संबंध में अन्य कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। तदनुसार वाद को निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 29/5/20

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

(हस्ताक्षर) 29/5/20

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

Scanned with CamScanner